<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 789 / 09

संस्थित दि: 17/12/09

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

.... अभियोगी

विरुद्ध

रमेश पिता मोहपत महाते, उम्र 50 साल, जाति मरार, निवासी हीरापुर (अमेड़ा) थाना भरवेली, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

–:<u>: निर्णय :</u>:–

<u>(आज दिनांक 09/10/2014 को घोषित किया गया)</u>

- (01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 को आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 20.11.2009 को समय 05:30 बजे चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायिकल कमांक एम.पी.50/बी.ए. 4568 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं रिवकांत नेमा को टक्कर मारकर घोर उपहित कारित की तथा उक्त वाहन को बिना अनुज्ञिप्त (लायसेंस) के चलाते हुए पाया गया।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रविकांत नेमा ने दिनांक 20.11.2009 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 20.11.2009 को उसके दोस्त के साथ बैहर से बालाघाट मोटरसायिकल से जा रहा था चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर आरोपी ने मोटरसायिकल एम.पी.50 / बी.ए.4568 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसायिकल को टक्कर मार दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र रूपझर में आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 105 / 09 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से मोटरसायिकल कमांक एम.पी.50 / बी.ए.4568 को जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184, 3 / 181, 146 / 196 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।
- (04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर झूटा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूंटा फंसाया गया है।
- (05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-
 - (अ) क्या आरोपी ने दिनांक 20.11.2009 को समय
 05:30 बजे चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर वाहन
 मोटरसायिकल क्रमांक एम.पी.50 / बी.ए.4568 को
 तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन
 संकटापन्न कारित किया ?
 - (ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50 / बी.ए. 4568 को तेजी एवं लावरवाहीपूर्वक चलाकर रविकांत नेमा को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?
 - (स) क्या आरोपी इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसायिकल क्रमांक एम.पी.50 / बी.ए. 4568 को बिना अनुज्ञप्ति (लायसेंस) के चलाते हुए पाया गया ?

-::<u>सकारण निष्कर्ष</u>::–

विचारणीय बिन्दु कमांक 'अ', 'ब' एवं 'स':-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ', 'बः एवं 'स' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

- (07) अभियोजन साक्षी / फरियादी रविकांत नेमा (अ.सा.01) का कहना है कि घ ाटना 20 नम्बर की शाम के 05:00 बजे चिखलाजोड़ी लोकमार्ग की है। वह बैहर से बालाघाट जा रहा था आरोपी वाहन को तेजी से चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दिया जिससे वह गिर गया था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई जो प्रदर्श पी—01 है।
- (08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी विजय (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के पांच वर्ष पुरानी शाम के 05:00 बजे चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर की है। वह रविकांत के साथ मोटरसायिकल से बैहर से बालाघाट जा रहा था। चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर आरोपी ने उसकी मोटरसायिकल को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी जिससे उसे हाथ में चोट आयी और रविकांत को दाये पांव में चोट आयी थी।
- (09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी ओमकार (अ.सा.02) एवं सलीम (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो साल पुरानी चिखलाजोड़ी चौक पर शाम के 05:00 बजे की है दो मोटरसायिकल का एक्सीडेंट हुआ था, दो व्यक्ति बैहर से बालाघाट की तरफ जा रहे थे। एक मोटरसायिकल भरवेली की तरफ से आ रही थी और टकरा गई थी। गिरने वालो को उसने पानी पिलाया था और उपचार के लिए अस्पताल पंहुचाया था। साक्षी ओमकार ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। मोटरसायिकल के टकराने की आवाज सुनकर वह गया था बैहर से बालाघाट की ओर जाने वाले व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिवकांत था और का स्वत्वेत का नाम रिवकांत था और व्यक्ति का नाम रिवकांत था का स्वत्वेत का नाम रिवकांत था साथ था बेहर से बालाघाट की अपन साथ साथ सिवकांत साथ साथ सिवकांत साथ सिवकांत सिवक
- (10) अभियोजन साक्षी माखन (अ.सा.06) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया किन्तु घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—02 पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सतानन्द (अ.सा.07) एवं सुदन (अ.सा.08) तथा मुन्नालाल (अ.सा.09) का भी कहना है कि आरोपी से उसके सामने मोटरसायिकल कमांक एम.पी.50 / बी.ए.4368 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—04 एवं प्रदर्श पी—07 तैयार किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—05 तैयार किया था, जिस पर

उसके हसताक्षर है।

- (11) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी के.सी.पटले (अ.सा.10) का कहना है कि उसने दिनांक 20.11.2009 को राविकांत की सूचना पर आरोपी रमेश वाहन चालक हीरो होण्डा कमांक एम.पी.50/बी.ए.4568 के विरूद्ध अपराध कमांक 105/09 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी—01 है। साक्षी माखनसिंह उइके की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—04 तैयार किया था। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त हालत में मोटरसायिकल एम.पी. 50/बी.ए.4568 गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—07 तैयार किया था। आरोपी से क्षतिग्रस्त मोटरसायिकल एम.पी.50/बी.ए.4568 के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—05 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—06 तैयार किया था। साक्षी राविकांत, सलीम, विजय, ओमकार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।
- (12) अभियोजन साक्षी डॉ.डी.के.राउत (अ.सा.04) का भी कहना है कि उसने दिनांक 30.11.09 को आहत रविकांत का एक्सरा परीक्षण करने दाहिने पैर की छोटी उंगली में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—03 है।
- (13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिए पुलिस ने मिलकर आरोपी के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई और असत्य कथन किये है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।
- (14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।
- (15) अभियोजन साक्षी / फरियादी रविकांत नेमा (अ.सा.०1) का स्पष्ट कहना है कि घटना 20 नम्बर की शाम के 05:00 बजे चिखलाजोड़ी लोकमार्ग की है। वह बैहर से बालाघाट जा रहा था आरोपी वाहन को तेजी से चलाकर लाया और उसकी मोटरसायकिल में टक्कर मार दिया जिससे वह गिर गया था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई जो प्रदर्श पी—01 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

- (अ.सा.05) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन के पांच वर्ष पुरानी शाम के 05:00 बजे चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर की है। वह रविकांत के साथ मोटरसायिकल से बैहर से बालाघाट जा रहा था। चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर आरोपी ने उसकी मोटरसायिकल को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसायिकल में टक्कर मार दी जिससे उसे हाथ में चोट आयी और रविकांत को दांये पांव में चोट आयी थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- (अ.सा.02) एवं सलीम (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो साल पुरानी चिखलाजोड़ी चौक पर शाम के 05:00 बजे की है दो मोटरसायिकल का एक्सीडेंट हुआ था, दो व्यक्ति बैहर से बालाघाट की तरफ जा रहे थे। एक मोटरसायिकल भरवेली की तरफ से आ रही थी और टकरा गई थी। गिरने वालो को उसने पानी पिलाया था और उपचार के लिए अस्पताल पंहुचाया था। बैहर से बालाघाट की ओर जाने वाले व्यक्ति का नाम रिवकांत था और भरवेली से आ रहे व्यक्ति का नाम रिमश था।
- (18) अभियोजन साक्षी माखन (अ.सा.०६) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया किन्तु घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—02 पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सतानन्द (अ.सा.०७) एवं सुदन (अ.सा.०८) तथा मुन्नालाल (अ.सा.०९) का भी कहना है कि आरोपी से उसके सामने मोटरसायिकल क्रमांक एम.पी.५०/ बी.ए.४३६८ मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—04 एवं प्रदर्श पी—07 तैयार किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—05 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है।
- (19) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी के.सी.पटले (अ.सा.10) का कहना है कि उसने दिनांक 20.11.2009 को राविकांत की सूचना पर आरोपी रमेश वाहन चालक हीरो होण्डा क्रमांक एम.पी.50/बी.ए.4568 के विरुद्ध अपराध

कमांक 105/09 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी—01 है। साक्षी माखनसिंह उइके की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—04 तैयार किया था। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त हालत में मोटरसायकिल एम.पी. 50/बी.ए.4568 गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—07 तैयार किया था। आरोपी से क्षतिग्रस्त मोटरसायकिल एम.पी.50/बी.ए.4568 के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—05 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—06 तैयार किया था। साक्षी राविकांत, सलीम, विजय, ओमकार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

- (20) अभियोजन साक्षी डॉ.डी.के.राउत (अ.सा.04) का भी कहना है कि उसने दिनांक 30.11.09 को आहत रविकांत का एक्सरा परीक्षण करने दाहिने पैर की छोटी उंगली में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—03 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- (21) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी फरियादी रविकांत एवं साक्षी विजय एवं विवेचनाकर्ता के.सी.पटले तथा डॉ. डी.के.राउत के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन नहीं हुआ और न ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथना पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से अभियोजन के प्रकरण की पुष्टि होती है।
- (22) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी रमेश महाते ने दिनांक 20.11.2009 को समय 05:30 बजे चिखलाजोड़ी लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायिकल क्रमांक एम.पी.50 / बी.ए.4568 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं रविकांत नेमा को टक्कर मारकर घोर उपहित कारित की किन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी उक्त वाहन को बिना अनुज्ञप्ति (लायसेंस) के चलाते हुए पाया गया।
- (23) परिणाम स्वरूप आरोपी रमेश महाते को मोटरयान अधिनियम की धारा

3/181 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

- (24) प्रकरण में आरोपी रमेश महाते पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
- (25) आरोपी रमेश महाते को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।
- (26) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थिगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

पुनश्च :

- (27) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।
- (28) आरोपी रमेश महाते के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी रमेश महाते का यह प्रथम अपराध है। आरोपी रमेश महाते की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी रमेश महाते मजदूर पेशा व्यक्ति है यदि उसे कारावास से दण्डित किया जाता है तो उसको तथा उसके परिवार को काफी कठनाईयों को सामना करना पड़ेगा तथा उसका परिवार भूखे मर जायेगा एवं भविष्य खराब हो जायेगा। अतः आरोपी रमेश महाते को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।
- (29) आरोपी रमेश महाते के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।
- (30) प्रकरण का अवलोकन किया गया।
- (31) आरोपी रमेश महाते पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी रमेश महाते द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी रमेश महाते को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी रमेश महाते को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 750/— (सात सौ पचास) रूपये के अर्थदण्ड एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के आरोप में 750/— (सात सौ पचास) रूपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक

की सजा से दिण्डत किया जाता है तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर आरोपी को एक—एक माह के साधारण कारावास की सजा प्रथक से भुगताई जावे।

- (32) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकिल कमांक एम.पी.50 / बी.ए. 4568 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।
- (33) निर्णय की एक प्रति आरोपी रमेश महाते को निःशुल्क दी जावे। निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित खुले न्यायालय में घोषित किया गया। किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)

हि) (डी.एस.मण्डलोई) थम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, १ (म०प्र०) वैहर ज़िला बालाघाट (म०प्र०)